नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक
PMT/BHO/0269/1637/2023

दिनांक 29-जून-2023

प्रति

A. P. CONSTRUCTION
E-7/796 ARERA COLONY

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ :आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/1516/2023

1. जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 13 / 52
2. कॉलोनी का नाम : A.P. ENCLAVE AT MISROD KH.NO-62/1/1,62/1/10,61,3761,377/61/2/1/NA,62/1/2,62/1/3,62/1/4,62/1/5,62/1/6,61,377/61/2/1/CHA,62/1/7,61,377/61/2/1/CHHA,62/1/8,62/1/9,61,377/61/2/1
3. भूखंड क्रमांक : 18,19,20,21,22,23,24,25,26,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,C1,C2,C3,C4,C5,C6,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,G1,G2,G3,G4,G5,G6,EWS1,LIG
4. CaseType : Erect
5. LandUse :
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
0.000	0.000	14352.500	14352.500

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	17940.630
Consumed FAR :	0.610	Proposed Builtup Area :	8755.030
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	0
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	22.880
		Permissible Ground Coverage :	75.00

9. **Building FAR Details**

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	A1,A3,A5,A7,A9-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	2.50	0.00
2	A10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	2.47
3	A11	0.00	176.82	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	2.50	0.00
4	A2,A4,A6,A8,A10-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	2.50
5	A3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	2.50	0.00
6	A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	2.50
7	A5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	2.50	0.00

8	A6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	2.50
9	A7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	2.50	0.00
10	A8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	2.50
11	A9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	2.50	0.00
12	B1,B3,B5,B7,B9,B11-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.57	0.00	0.00
13	B10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	1.52	0.00	0.00
14	B11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	1.52	0.00	0.00
15	B12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	1.52	0.00	0.00
16	B13	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.61	0.00	0.00
17	B2,B4,B6,B8,B10,B12-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.57	0.00	0.00
18	B3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	1.57	0.00	0.00
19	B4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	1.57	0.00	0.00
20	B5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	1.55	0.00	0.00
21	B6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	1.55	0.00	0.00
22	B7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	1.52	0.00	0.00
23	B8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	1.52	0.00	0.00
24	B9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	1.52	0.00	0.00
25	C1	0.00	129.64	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
26	C2	0.00	129.64	0.00	0.00	0.00	3.00	1.75	0.00	0.00
27	C3	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00	3.00	1.71	0.00	0.00
28	C4	0.00	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	C5	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00	3.00	1.61	0.00	0.00
30	C6	0.00	110.52	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
31	D1,D3,D5,D7,D9-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
32	D10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
33	D2,D4,D6,D8,D10-TYPICAL`	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
34	D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
35	D4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
36	D5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
37	D6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

38	D7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
39	D8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
40	D9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
41	E1,E3, E5,E7, E9-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
42	E10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
43	E2,E4, E6,E8, E10-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
44	E3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
45	E4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
46	E5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
47	E6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
48	E7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
49	E8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
50	E9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
51	EWS1	0.00	325.36	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	1.50	1.50
52	F1,F3, F5,F7, F9-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
53	F10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
54	F2,F4, F6,F8, F10-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
55	F3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
56	F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
57	F5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
58	F6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
59	F7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
60	F8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
61	F9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
62	G1,G3 ,G5-TYPICAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	1.50	0.00	0.00
63	G2,G4 ,G6-TYPICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	1.50	0.00	0.00
64	G3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	1.50	0.00	0.00

65	G4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	1.50	0.00	0.00
66	G5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	1.50	0.00	0.00
67	G6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	1.50	0.00	0.00

10. **Floor FAR Details**

Building Name	S. No.	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
G2	1	FLOOR-GROUND	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	0.00
G2	2	FLOOR01	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00	39.14	0.00
G1	3	FLOOR-GROUND	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	0.00
G1	4	FLOOR01	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00	39.14	0.00
F2	5	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F2	6	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
E2	7	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
E2	8	FLOOR01	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00
D2	9	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D2	10	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
D1	11	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D1	12	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
C2	13	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
C2	14	FLOOR01	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	64.38	0.00
B1	15	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B1	16	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B1	17	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
A2	18	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A2	19	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A2	20	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
B13	21	FLOOR-GROUND	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00	85.27	0.00
B13	22	FLOOR01	0.00	70.21	0.00	0.00	0.00	70.21	0.00
B13	23	FLOOR02	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00
A11	24	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A11	25	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A11	26	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
A1	27	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A1	28	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A1	29	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00

B2	30	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B2	31	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B2	32	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
C6	33	FLOOR-GROUND	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00	56.17	0.00
C6	34	FLOOR01	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00	54.35	0.00
C5	35	FLOOR-GROUND	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00	58.96	0.00
C5	36	FLOOR01	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00	57.25	0.00
C4	37	FLOOR-GROUND	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00	61.06	0.00
C4	38	FLOOR01	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00	59.25	0.00
C3	39	FLOOR-GROUND	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00	63.86	0.00
C3	40	FLOOR01	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96	0.00
C1	41	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
C1	42	FLOOR01	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	64.38	0.00
F1	43	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F1	44	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
E1	45	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
E1	46	FLOOR01	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	64.38	0.00
EWS1	47	FLOOR-GROUND	0.00	125.62	0.00	0.00	0.00	125.62	0.00
EWS1	48	FLOOR01	0.00	125.62	0.00	0.00	0.00	125.62	0.00
EWS1	49	FLOOR02	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00	74.12	0.00
A3	50	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A3	51	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A3	52	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
A5	53	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A5	54	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A5	55	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
A7	56	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A7	57	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A7	58	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
A9	59	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A9	60	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A9	61	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
A4	62	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A4	63	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00

A4	64	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
A6	65	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A6	66	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A6	67	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
A8	68	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A8	69	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A8	70	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
A10	71	FLOOR-GROUND	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	70.12	0.00
A10	72	FLOOR01	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	0.00
A10	73	FLOOR02	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
B3	74	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B3	75	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B3	76	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
B5	77	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B5	78	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B5	79	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
B7	80	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B7	81	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B7	82	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
B9	83	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B9	84	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B9	85	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
B11	86	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B11	87	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B11	88	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
B4	89	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B4	90	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B4	91	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
B6	92	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B6	93	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B6	94	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
B8	95	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B8	96	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B8	97	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
B10	98	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00

B10	99	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B10	100	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
B12	101	FLOOR-GROUND	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
B12	102	FLOOR01	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	0.00
B12	103	FLOOR02	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00
D3	104	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D3	105	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
D5	106	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D5	107	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
D7	108	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D7	109	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
D9	110	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D9	111	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
D4	112	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D4	113	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
D6	114	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D6	115	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
D8	116	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D8	117	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
D10	118	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
D10	119	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
E3	120	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
E3	121	FLOOR01	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	64.38	0.00
E5	122	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
E5	123	FLOOR01	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	64.38	0.00
E7	124	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00

E7	125	FLOOR01	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	64.38	0.00
E9	126	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
E9	127	FLOOR01	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	64.38	0.00
E4	128	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
E4	129	FLOOR01	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00
E6	130	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
E6	131	FLOOR01	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00
E8	132	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
E8	133	FLOOR01	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00
E10	134	FLOOR-GROUND	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	0.00
E10	135	FLOOR01	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00
F3	136	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F3	137	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
F5	138	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F5	139	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
F7	140	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F7	141	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
F9	142	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F9	143	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
F4	144	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F4	145	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
F6	146	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F6	147	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
F8	148	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F8	149	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00

F10	150	FLOOR-GROUND	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00
F10	151	FLOOR01	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00
G3	152	FLOOR-GROUND	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	0.00
G3	153	FLOOR01	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00	39.14	0.00
G5	154	FLOOR-GROUND	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	0.00
G5	155	FLOOR01	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00	39.14	0.00
G4	156	FLOOR-GROUND	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	0.00
G4	157	FLOOR01	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00	39.14	0.00
G6	158	FLOOR-GROUND	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	0.00
G6	159	FLOOR01	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00	39.14	0.00

11. **Paid fees Details**

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/8771/2023	10.00	RCPT/BHO/0269/3294/2023	3/4/2023	Online
DMD/BHO/0269/16603/2023	172385.00	RCPT/BHO/0269/9148/2023	6/27/2023	Online
DMD/BHO/0269/16603/2023	1437758.00	RCPT/BHO/0269/9146/2023	6/27/2023	Online

मध्य **प्रदेश** भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तो तथा उपबंधनों के तहत् भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **28-जून-2026** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। **मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम** अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा ।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद **दवारा** प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नही होगा।
3. यह अनुज्ञप्ती संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाईजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाईजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन**/आंतरिक **परिवर्तन**/परिवर्धन करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में **दर्शाये** गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेशन** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तो का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो **मध्य प्रदेश** भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी ।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल **संचयन शाखा** से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण–पत्र

जारी किया जायेगा

9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड़ के अनुसार करना होगा।

10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।

11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य **प्रदेश** भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।

12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की **क्षेत्र में** स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य **दवार** के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की **दशा** में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।

13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारो तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावें। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नही रखी जावें। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नही फैलावें।

14. मध्य **प्रदेश** भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय **प्रशाशन** एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगें अधिभोग हेतु नियम 102 के नियय 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।

15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय **दिशा निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग–अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी**आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।

16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले **क्षेत्र** में **वृक्षारोपण** करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल–मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।

17. **मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 केअनुसारवृक्षारोपणकरनाअनिवार्य होगा।**

18. **यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।**

19. **कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।**

20. भवन का निर्माण मध्य **प्रदेश** भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की **राशि** आवेदक को जमा कराना **आवश्यक** होगा।

22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिको हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।

23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।

24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर **निरीक्षण** हेतु भवन **अधिकारी** को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।

25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।

26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।

27. भवन अनुज्ञा **स्वीकृति** दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

28. **प्रस्तावित निर्माण में विदयुत लाइन से म.प्र.विदयुत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।**

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये **तथ्यों** के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

29. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कार्यालय का पत्र क्रमांक बी.पी.एल.एल.पी.-010622556 दिनांक-28.08.2022 ग्राम-मिसरोद तहसील, कोलार जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक-62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/ञ, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1/च, 62/1/7, 377/61/2/1/छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/झ कुल रकबा 1.460 हेक्टेयर (14600.00 वर्गमीटर) में से 1.46 हेक्टेयर पर आवेदक श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, सुश्री कमर सुल्तान पुत्री श्री जमील अहमद, सुश्री फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, सुश्री मेहरून

निशा पुत्री श्री जमील अहमद, सुश्री फखन निशा पुत्री श्री जमील अहमद, सुश्री रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, सुश्री बदरून्निशा पुत्री श्री जमील अहमद, संयुक्त अनुबंध ए.पी. कन्सट्रक्संस श्री अजय मोहगांवकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यु.मोहगांवकर, श्री प्रदीप शर्मा आत्मज श्री स्व. श्री जी.एन. शर्मा, ई.-7/796, अरेरा का ॉलोनी, भोपाल दवारा Plotted Housing के "A.P. ENCLAVE" के विकास हेतु जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास य़ोजना 2005 में "Residencial" निर्दिष्ट है। आवेदक की उपस्थिति में उनके दवारा बतलाई गई सीमा के अनुसार भूमि तक पहंुच मार्ग उपलब्ध है। अतः भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका में "Residencial" भूमि उपयोग में Plotted Housing विकास स्वीकार्य गतिविधि है। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. आवेदक/कंसल्टेंट दवारा प्रस्तुत Annexure मूलतः अनुमति के साथ संलग्न किया गया है। Annexure में दर्शितके अनुसार नियोजन मापदण्ड उल्लेखित किए गए है नगर पालिक निगम के अधिकृत अधिकारी दवारा कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम, के अंतर्गत मानचित्र का स्थल पर सीमांकन करने के पश्चात यदि कॉलोनी की बाह् सीमा के भूखण्डों की मेप में कोई अंतर आता है तो उन के माप वही मान्य होगा जो स्थल अनुसार उपलब्ध हैं भूखण्डों के माप के अंतर आने पर कार्यालय को सूचना देना होगा। सीमा के भूखण्डों के माप के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 (3) में ही संशोधन हो सकेगा।

- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 (4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रैन वॉटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल, विदयुत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के दवारा किया जा सकेगा।
- किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व, सीमा अथवा मार्ग संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहृत (रिव्होक) कर दी जाएगी।
- प्रश्नाधीन भूमि के पास रेल्वे बाउण्ड्री विदयमान है, रेल्वे बाउण्ड्री से 30 मीटर का खुला क्षेत्र रखा जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त क्षेत्र में कोई निर्माण/विकास मान्य नहीं होगा।
- प्रस्तावित अभिन्यास में सामान्य श्रेणी कुल 68 आवासीय भूखण्ड का प्रावधान किया गया है। निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा र्तें)नियम 2021 के नियम 10 अनुसार में उल्लेखित प्रावधानानुसार एल.आई.जी. हेतु 36 से 46 वर्गमीटर की 4 आवासीय ईकाइयां एवं ई.डब्ल्यु.एस. हेतु 25 से 35 वर्गमीटर के 6 आवासीय इकाईयों का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। कॉलोनाईजर नियम 2021 के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार किए गए प्रावधान को स्वीकृत करने का अधिकार कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम 2021 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का है। सक्षम अधिकारी दवारा विकासअनुमति प्रदान करने से पूर्व यदि कोई संशोधन किया जाता है तो वही मान्य हो

3. आवेदक दवारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम "A.P. ENCLAVE" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

30. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल के पत्र क्रमांक 1971 दिनांक 09.05.2022 के अनुसार मध्य क्षेत्र एवं विकसित क्षेत्र में भवनों से संबंधित दिशा निर्देशों अनुसार व आवेदक दवारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वयं के आवास उपयोग (केवल शासकिय अभिलेखों में परिभाषित कुटुम्ब सदस्य सहित) अधिभोग हेतु ही विकास योजना अनुसार केवल 04 स्वयं के आवास उपयोग ईकाई की अनुज्ञा दी जा रही है, तथा विकास योजना के निर्दिष्ट प्रावधानों अध्याय-4 के मापदण्ड सहित सारणी क्रमांक 4-सा-2

के मापदण्ड लागू होंगे,यदि आवेदक या किसी अन्य के दवारा स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र,भवन उचांई ,एफ.ए.आर(म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2(30)के तहत परिभाषित), आदि निर्दिष्ट प्रावधानों,अधिभोग से विपरीत कर अतिरिक्त किसी भी प्रकोष्ठों को विक्रय सक्षम प्राधिकारी,नगर पालिका म.प्र.नगर पालिक निगम, अधिनियम, 1956 के अधीन कॉलोनाईजर (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत बिना स्वीकृति के किया जाता है तो ऐसा कृत्य पाऐ जाने पर यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी तथा सक्षम प्राधिकारी, नगर पालिका म.प्र.नगर पालिक निगम,अधिनियम, 1956 के अधीन कॉलोनाईजर (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत आवेदक के विरूदध सक्षम कार्यवाही सक्षम न्यायालय/अधिकारी दवारा की जा सकेगी। यह भी है कि स्वयं के आवास अधिभोग हेतु दी गई अनुज्ञा अनुसार किसी भी वित्तीय संस्था दवारा अवैधानिक विक्रित भाग पर ऋण दिया जाना भी अपराध की श्रेणी में माना जावेगा, विक्रित भाग का निष्पादित पंजियन भी निरस्त किया जा सकेगा। आवेदक की विषयांकित भूमि एवं प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निर्दिष्ट प्रावधान आकर्षित होंगे।

31. इस अनुमति को भूस्वामित्व दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी, तथा भवन अनुमति मानचित्र को भूस्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। भवन अनुमति केवल भवन के नियोजन मापदण्ड मानचित्र माना जाएगा। अनुमोदित मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, पहुंच मार्ग विवाद उत्पन्न होने की दशा में, आवेदक दवारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में या किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर या भूखण ड किसी भवन के खुले क्षेत्रों में पाये जाने पर तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिदध पाये जाने पर अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानों के तहत् उपरोक् त शर्तों व उपबंधों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहरित (रिव्होक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

32. आवेदक एवं उनके द्वारा अधिकृत वास्तुविद् (म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(9)के तहत) द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार की स्थल के परिप्रेक्ष्य में भिन्नता होने पर या प्रस्तुत भवन मानचित्र में विरोधाभास या विसंगति पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की एवं उनके द्वारा अधिकृत पंजीकृत वास्तुविद्/ इंजीनियर /पर्यवेक्षक/ठेकेदार आदि की बराबर की होगी, तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जा सकेगी। म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत किए जा रहे निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा अथवा अनुज्ञा को निरस्त किया जा सकेगा।

33. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 एवं एन.बी.सी. भाग-4 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था एवं उपाय हेतु नवीन संशोधनों व समय-समय पर जारी शासन आदेशों अनुसार संबंधित विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी, तथा तदानुसार निर्धारित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन उपकरण, व्यवस्था एवं उपाय लगाए व किये जावेगें, तत्पश्चात संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात भवन अनुज्ञा शाखा में अधिभोग किये जाने के पूर्व नियमानुसार सर्विस प्रमाण पत्र तथा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेगें, म.प्र. भूमि विकास नियम 86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम 87 अग्निसुरक्षा संबंधी आवश्यकता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंध में किसी भी प्रकार की फायर फिटिंग अमानक व उपकरण के संचालन के संबंध में कोई या किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा दुर्घटना घटित होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की होगी, तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक एवं फायर फिटिंग एजेंसी द्वारा ही की जावेगी। आवेदक को म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 102 के तहत भवन

अनुज्ञाशाखा द्वारा कार्य पूर्णता नही प्रदाय किया जावेगा। आवेदक की विषयांकित भूमि एवं प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निर्दिष्ट प्रावधान आकर्षित होंगे।

34. भवन अनुमति के अनुसार निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी सूचना आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 100 के तहत भवन अनुज्ञा शाखा को विधिवित् देना होगी। बगैर सूचना दिए व बगैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए किए जा रहे निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कमी के कारण दुर्घटना घटित होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही की जावेगी। भूखंड के माप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से विधिवत् अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमोदित मानचित्र से विपरीत पाए जाने वाले भूखण्डों पर भवन अनुज्ञा स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी।

35. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार यदि आवदेक के द्वारा स्वयं की प्रेरणा से निर्दिष्ट/अनुमोदित अधिभोग का परिवर्तन भवन में या उसके किसी भाग में करता है तो भवन निर्माण अधिकारी ऐसे अवैधानिक अधिभोग को बंद किए जाने हेतु कार्यवाही करेगा, यदि आवेदक द्वारा भवन अनुमति के विरूद्ध अवैधानिक अधिभोग को बंद नहीं करता है तो दी गई भवन अनुज्ञा व अधिरोपित शर्तों का उल्लघंन मानते हुए नियम/अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञा निरस्त कर दी जावेगी, तथा भवन निर्माण को अवैध निर्माण मानते हुए भवन निर्माण अधिकारी संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा।

36. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भोपाल के पत्र क्रं. 861/स्वा./रा.क./2022 दिनांक-28.04.2022 के अनुसार राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण/डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार भवन निर्माणकर्ता को जल संचय इस प्रकार किया जाना है कि जिससे मच्छरों के प्रजनन जन्य स्थितियां निर्मित न हो सकें, जिसके कारण डेंगू जैसे अन्य हानिकारक लार्वा उत्पन्न न होने पायें। स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान अस्थायी रूप से जल संग्रहण आवश्यकता अनुसार अस्थायी व्यवस्था की जाती है जिसे निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अस्थायी व्यवस्था को नष्ट किया जाना आवश्यक होगा।

37. अनुमोदित मानचित्र के विपरीत किए गए भवन निर्माण कार्य गलत या असत्य जानकारी पहुंच मार्ग संबंधी विवाद उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन व जानकारी जो आवेदन पत्र अनुसार असत्य पाए जाने या भू-सीमा/भूखण्ड विवाद उत्पन्न होने की दशा में या किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि के स्वामित्व उससे संबंधित या किसी से संबंधित प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाए जाने पर या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर या किसी भी शासकीय विभाग से कोई आपति प्राप्त होने पर तथा अनुमति पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाऐ जाने पर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त शर्तों व उपबंधों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहृत रिव्होक कर दी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी मानी जावेगी।

38. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाए अनुसार म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के प्रावधानों के अन्तर्गत तलघर का उपयोग केवल वाहन पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा, जिसकी नियमानुसार भवन अनुमति प्रदान करते समय वाहन पार्किंग की गणना व प्रत्येक वाहन हेतु पर्याप्त स्थान, आवागमन स्थान हेतु नियोजित क्षेत्र एवं ऊंचाई आदि का निर्धारण के पश्चात ही भवन अनुमति मान्य की जाए। आवेदक द्वारा प्रस्तावित मानचित्र में उपदर्शित भूखण्ड रेखा से न्यूनतम 1.5 मीटर अथवा जो निर्धारित किया गया हो, भूमि छोड़कर ही तलघर निर्माण मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में भूखण्ड रेखा से तलघर निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। तलघर निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कमी

के कारण दुर्घटना घटित होने या कोई जनहानि या जानमाल का नुकसान होने पर आवेदक एवं उनके अधिकृत पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर /पर्यवेक्षक/ठेकेदार आदि बराबर के जिम्मेदार होगें, तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही की जावेगी। आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के परिशिष्ट-झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मार्ग एवं आरक्षित सीमांत खुले क्षेत्र पर स्वीकार नहीं होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा। आवेदक की विषयांकित भूमि एवं प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निर्दिष्ट प्रावधान आकर्षित होंगे।

39. आवेदक को समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक-22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अंतर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनिमय और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा। आवेदक की विषयांकित भूमि एवं प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निर्दिष्ट प्रावधान आकर्षित होंगे।

40. जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संवहन की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिक निगम, के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी, तथा नगर निगम के मुख्य ड्रेन से जोड़ा जावेगा। एस.टी.पी. का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।

41. म.प्र. भूमि विकास निमय 2012 के निमय 50 के अनुसार जल निकाय/जल स्त्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9 मीटर और नदी के मामले में 15 मीटर की दूरी के भीतर हो या जैसा कि विकास रेखांक में विहित हो, भूमि को खुले रूप में छोड़ना आवश्यक होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। आवेदक की विषयांकित भूमि एवं प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निर्दिष्ट प्रावधान आकर्षित होंगे।

42. आवेदक को विषयांकित भूमि पर विकास/निर्माण करते समय यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि, उनके द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले निर्माण से आसपास के भवनों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि किए जा रहे निर्माण कार्य से आसपास के भवनों पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर दी जा रही अनुज्ञा को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत लंबित रखा जा सकता है, तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही की जावेगी।

43. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधारभूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

44. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम 87अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता होने पर अपेक्षाएं प्रावधान अनुसार निर्धारितआवेदक द्वारा की जावेगी, तथा नियम 88 के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन आवेदक का दायित्व होगा, जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जावेगा, साथ ही नियम 41 के तहत भवन तथा उसके चारों ओर खुल स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग दमकल के भार को सहन करने योग्य ठोस सतह होगी। आवेदक की विषयांकित भूमि एवं प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निर्दिष्ट प्रावधान आकर्षित होंगे।

45. म.प्र. भूमि विकास निमय 2012 के नियम 81 (4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जलसंवर्धन प्रणाली

हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार आवेदक/संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।

46. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक/भूमि स्वामी को नियमों में उल्लेखित निर्दिष्ट कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वाहन किया जाना अनिवार्य है, प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक को स्थल पर विकास अनुमति के पश्चात किए जा रहे विकास कार्य की प्रत्येक स्तर की सूचना सक्षम प्राधिकारी (भवन अधिकारी) को प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा, तथा भवन अधिकारी के द्वारा दी गई सूचना का स्थल पर सत्यापन प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। सत्यापन के दौरान यदि आवेदक द्वारा दी गई अनुज्ञा का विचलन पाए जाने पर तत्काल विकास/निर्माण पर रोक लगाते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा, जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी, साथ ही आवेदक द्वारा समस्त विभागों से प्राप्त की गई अनुमति/अनापत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

47. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 83 के प्रावधानों के अन्तर्गत लिफ्ट,एसक्लेटर या मुविंग वॉक का प्रावधान होने पर योजना, डिजायन, स्थापना, संचालन,रखरखाव एवं निरीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के भवन सेवाओं भाग-8 के सेक्शन 5 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अधिकृत संस्था/इंजीनियर/प्राधिकारी से भवन अधिभोग किए जाने के पूर्व प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करान अनिवार्य होगा, एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 89 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थल पर सामग्री की गुणवत्ता तथा कारीगरी हेतु निर्दिष्ट मापदण्डों का पालन आवेदक एवं उनके द्वारा अधिकृत/पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर/पर्यवेक्षक एवं ठेकेदार को करना अनिवार्य होगा।

48. भूमि से लगकर स्थित बड़े तालाब का जल भराव क्षेत्र (केचमेंट) से 50.00 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का विकास एवं निर्माण मान्य नहीं होगा। विषयांकित भूमि तक वी.आई.पी. रोड से नवीन पहुंच मार्ग मान्य नहीं होकर भूमि के उत्तर एवं पूर्व दिशा स्थित आवेदक की भूमि में पूर्व में निर्मित पहुंच मार्ग ही मान्य होगा। किसी भी प्रकार की जल/मल की निकासी बड़े तालाब की ओर प्रतिबंधित रहेगी, जिसका उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा रिव्होक कर दी जावेगी। आवेदक की विषयांकित भूमि एवं प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निर्दिष्ट प्रावधान आकर्षित होंगे।

49. विषयांकित भूमि पर प्रस् तावित योजना के अंतर्गत भूमि का भौगौलिक एवं नैसर्गिक स्थिति को परिवर्तन किया जाना मान् य नही होगा यदि आवेदक द्वारा इन स्थितियों में परिवर्तन किया जाना आवश् यक है तो म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनिज शाखा कलेक् ट्रेट एवं वन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों से विधिवत अनुमति प्राप् त करने के पश् चात ही प्रदाय विकास अनुमति के अनुसार विकास कार्य कर सकेगें अन् यथा नही । किसी भी विभाग द्वारा उक् त परियोजना पर प्राप् त कि जाने वाली अनापत्ति/अनुमति पर यह अनुमोदन बंधनकारी नही होगा तात् पर्य संबंधित विभाग से अनुमति द पश् चात ही विकास कार्य किया जा सकेगा तथा प्राप् त की गई समस् त अनुमति इस कार्यालय में छः माह भीतर प्रस् तुत करना अनिवार्य होगा अन् यथा दी गई अनुमति की शर्तो का उल् लंघन मानते हुये म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत अनुमोदन निलंबित कर दिया जायेगा जिसकी संपूर्ण जिम् मेदारी आवेदक की मानी जायेगी ।

50. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-30 के अन्तर्गत कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनुमोदित मानचित्र की समस्त शर्तों का पालन करना होगा। आवेदक की विषयांकित भूमि एवं प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निर्दिष्ट प्रावधान आकर्षित होंगे।

51. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अतंर्गत विधुत लाईनो से

नगर पालिक निगम Bhopal

निर्धारित दूरी का पालन आवेदक को करना आवश्यक होगा। है। म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3/155/2013/32 भोपाल दिनांक 29 जून 2013 अनुसार नगर नियोजन के मूल सिध्दांतों के अंतर्गत मार्गों का आपसी समन्वय स्थापित किये जाने तथाम.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अतंर्गत प्रस्तावित विकास के आसपास लगी भूमि की कालोनियों/प्रस् तावोंपर निर्मित अनुमोदित मार्गों के भूखण्डों एवं खुले तथा अन्य क्षेत्रों का समायोजन किया जावेगा तथा उक्त अनुमोदित मार्गों को किसी भी प्रकार से अवरूद्व किया जाना मान्य नहीं होगा। अतः अनुमोदित मार्गों को गेट अथवा बाउन्ड्रीवाल से अवरूद्व/बाधित किया जाना मान्य नहीं होगा। यदि आवेदक संस्था द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है, तो स्थानीय संस्था एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाधित किये गये मार्ग पर मुक्त किये जाने संबंधित वैद्यानिक कार्यवाही कर सकेंगे।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by NEERAJ ANAND LIKHAR
Date: 2023.06.30 12:59:19 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal